vè;k;&IV: okgu vkj b pkyku ,i e 0;olkf;d fu;ek dk ifrfp=.k

Lui'k,V

व्यवसायिक नियमों में किसी संगठन का डाटा आवश्यकताओं, प्रक्रियाओं एवं व्यावसायिक प्रयोजन के बारे में सभी सूचनायें होती है और इसलिए इसका उपयोग सूचना प्रणाली के विकास में किया जा सकता है।

वाहन 4.0 एप्लीकेशन में व्यावसायिक नियमों का अनुपयुक्त प्रतिचित्रण, उन मामलों में स्पष्ट था जहां उ.प्र.रा.स.प.नि. बसों पर अतिरिक्त कर आरोपित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, उ.प्र.रा.स.प.नि. बसों के अतिरिक्त कर के बकाया को जमा किए बिना सिस्टम और अभिलेखों से हटा दिया गया था। सं.प.अ./स.सं.प.अ. के संबंधित कार्यालयों द्वारा न ही सॉफ्ट और न ही हार्ड कॉपी में अतिरिक्त कर के बकायों का कोई अभिलेख रखा गया था। विभाग अतिरिक्त कर के विलम्बित भुगतान पर शास्ति का प्रावधान स्पष्ट रूप से प्रतिचित्रित करने में विफल रहा। इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर की अनाधिकृत छूट का त्रुटिपूर्ण प्रतिचित्रण और स्वस्थता के नवीनीकरण में विलम्ब पर शास्ति के प्रावधान को अमान्य रुप से हटाने के मामले, वाहनों के कर संग्रह और स्वस्थता को प्रभावित करते हैं। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट और नेशनल परमिट के अन्तर्गत आने वाले वाहन पर कोर्ट फीस उपयुक्त रूप से प्रतिचित्रित नहीं की गई थी। ई–चालान ऐप भी, चालानों के उचित निस्तारण के बिना परमिट/स्वस्थता का नवीनीकरण किये जाने की सीमा तक, चालान देरी से माननीय न्यायालय को भेजे गए थे और प्रशमन शुल्क की कम वसूली हुई थी। इस प्रकार, व्यवसायिक नियमों के त्रुटिपूर्ण प्रतिचित्रण के कारण राजस्व की कम/अप्राप्ति हुई।

4.1 ifjp;

परिवहन विभाग की राजस्व वसूली केंद्र सरकार के साथ–साथ राज्य सरकार के विभिन्न अधिनियम एवं नियमावली द्वारा नियंत्रित होती है। इसके अतिरिक्त, समय–समय पर जारी विभिन्न अधिसूचनाएं, परिपत्र और सरकारी आदेश भी लगाए जाने वाले करों एवं शुल्क की दरों को नियंत्रित करते हैं। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सभी व्यवसायिक नियमों एवं प्रक्रियाओं को वाहन एप्लीकेशन और ई–चालान ऐप में समय पर सही रुप से प्रतिचित्रित एवं अद्यतन किया जाये।

4.2 y[kkijh{kk ifj.kke

लेखापरीक्षा विश्लेषण में इन एप्लीकेशनों में व्यवसायिक नियमों की त्रुटिपूर्ण प्रतिचित्रण के कारण वाहन एप्लीकेशन एवं ई–चालान ऐप द्वारा करों और शुल्क के निर्धारण में विभिन्न विसंगतियाँ संज्ञान में आयीं। इस अध्याय में लेखापरीक्षा टिप्पणियों की सन्निहित धनराशि ₹ 1,033.37 करोड़ है जिसे **pkV 4-1** में दर्शाया गया है एवं आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

pkV 4-1

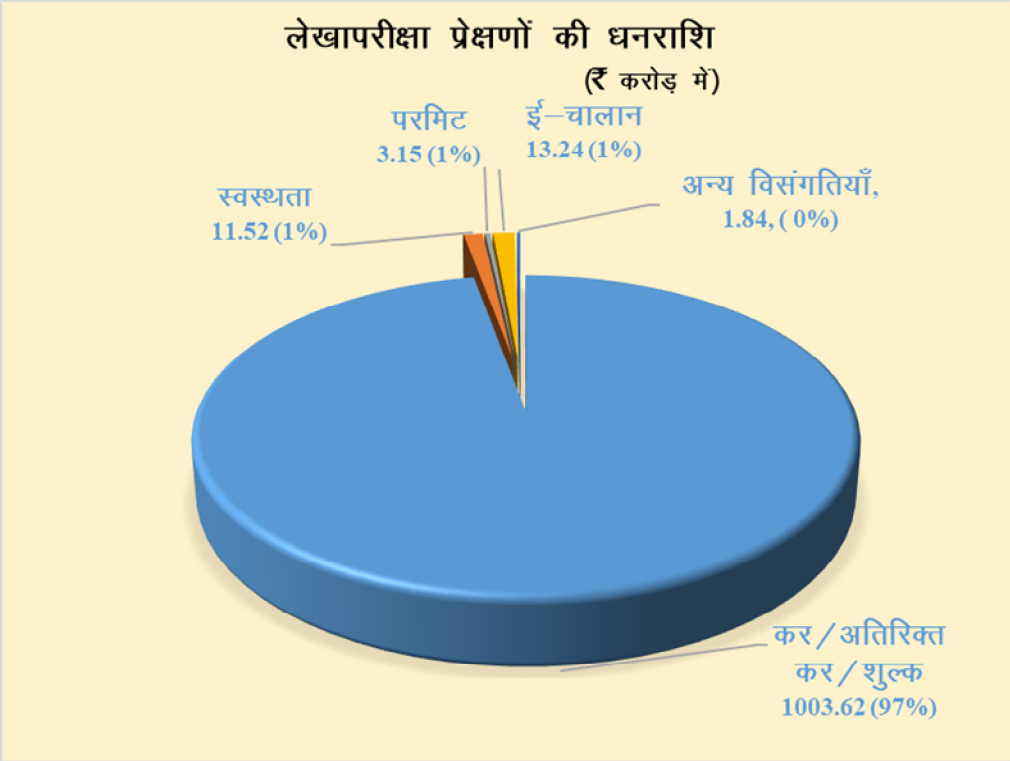

okgu ,lyhd'ku e dfe;k

4.2.1 m-i-jk-l-i-fu- clk d vfrjDr dj d cdk;k dk voèk #i l lEkkIr fd;k tkuk

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (उ.प्र.मो.या.क.) अधिनियम, 1997 यथा संशोधित 2009 की धारा 4(1) में कर के आरोपण का प्रावधान और तदानुसार विभाग द्वारा वाहन 4.0 एप्लीकेशन में प्रतिचित्रित किया गया था। इसके अतिरिक्त, उ.प्र.मो.या.क. अधिनियम, 1997 की धारा 6[1] राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्व या नियंत्रण वाले सार्वजनिक सेवा वाहनों पर अक्टूबर 2009 से अतिरिक्त कर आरोपण को प्रावधानित करता है।

प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (उ.प्र.रा.स.प.नि.) को इस प्रकार एकत्रित कुल देय अतिरिक्त कर को सीधे कोषागार में जमा करने एवं मूल चालान को संबंधित सं.प.का. को एक प्रति के साथ उ.प्र.रा.स.प.नि. के मुख्यालय में जमा करने का निर्देश (फरवरी 2006) दिया गया था। इसी प्रकार, उ.प्र.रा.स.प.नि. की बसों पर अतिरिक्त कर अप्रैल 2017 तक केंद्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत उ.प्र.रा.स.प.नि. मुख्यालय द्वारा लखनऊ कोषागार में जमा किया जा रहा था।

परिवहन आयुक्त (प.आ.) ने उ.प्र.रा.स.प.नि. के प्रबंध निदेशक को मई 2017 से उ.प्र.रा.स.प.नि. की बसों का अतिरिक्त कर ऑन–लाइनमोड के माध्यम से जमा करने के लिए कहा (अप्रैल 2017)। उक्त पत्र में, प.आ. ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए थेः

• सभी स.सं.प.अ. (प्रशासन) को उ.प्र.रा.स.प.नि. बसों के संबंध में अतिरिक्त कर की बकाया धनराशि का विवरण अप्रैल 2017 तक जैसा कि वाहन एप्लीकेशन में दर्शाया

[1] जैसा कि अक्टूबर 2009 में प्रतिस्थापित किया गया।

गया है, हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में रखना चाहिये। उन्होंने आगे की अवधि के लिए अतिरिक्त कर जमा करने के उद्देश्य से वाहन एप्लीकेशन में कर निस्तारित करने का भी निर्देश दिया।

• यह भी कहा गया था कि अतिरिक्त कर की बकाया धनराशि के निस्तारण के लिए अलग से निर्देश जारी किये जाएगें।

• केंद्रीकृत योजना के अन्तर्गत अप्रैल 2017 तक जमा किए गए अतिरिक्त कर के समायोजन की प्रक्रिया अप्रैल 2017 तक के अतिरिक्त कर की बकाया धनराशि के साथ मिलान के पश्चात की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि मार्च 2017 तक उ.प्र.रा.स.प.नि. वाहनों से **₹** 919.68 करोड़[2] अतिरिक्त कर वसूल किया जाना था। यद्यपि, प.आ के उपर्युक्त आदेश के कारण, मार्च 2017 तक के अतिरिक्त कर के बकाया को वाहन एप्लीकेशन से बाहर रखा गया और इसलिए, प्रणाली का अनुश्रवण तंत्र बाहर रहा। यह भी देखा गया कि अतिरिक्त कर की बकाया धनराशि के निस्तारण के लिए अलग से कोई पृथक निर्देश जारी नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, चयनित इकाइयों में, लेखापरीक्षा ने देखा कि प.आ. के आदेश का उल्लंघन करते हुए, कर निस्तारण से पहले वाहन एप्लीकेशन में दिखाए गए अतिरिक्त कर के बकाया का कोई अभिलेख सं.प.अ./स.सं.प.अ. के संबंधित कार्यालयों द्वारा सॉफ्ट या हार्ड कॉपी में नहीं रखा गया था। विभाग ने 48 माह व्यतीत हो जाने के पश्चात भी, उक्त बकाया के समायोजन हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी।

इस कारण से उ.प्र.रा.स.प.नि. वाहनों पर अतिरिक्त कर बकाया की वसूली की अनुश्रवण/नियंत्रण किसी भी स्तर पर नहीं की जा सकी।

विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई 2022) में बताया कि उ.प्र.रा.स.प.नि. बसों के अतिरिक्त कर ऑन–लाइन जमा करने के उद्देश्य से वाहन 4.0 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार अतिरिक्त कर बकाया धनराशि की जानकारी वाहन–वार संरक्षित करते हुए राज्य में अतिरिक्त कर ऑन–लाइन जमा करने की व्यवस्था लागू की गई थी। उ.प्र.रा.स.प.नि. राज्य सरकार की एक संस्था है एवं अतिरिक्त कर के बकाया की धनराशि के समायोजन के संबंध में उचित कार्यवाही की जाएगी।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बकाया अतिरिक्त कर की धनराशि की वाहन–वार सूचना को किसी भी स्तर पर संरक्षित नहीं किया गया था एवं यह वाहन 4.0 एप्लीकेशन में भी परिलक्षित नही हैं।

[2] प.आ. कार्यालय द्वारा दी गई सूचना।

4.2.2 xkre c) uxj e m-i-jk-l-i-fu- dh clk ij vfrfjDr dj dk vkjki.k u fd;k tkuk

उ.प्र.मो.या.क. अधिनियम, 1997 की धारा 6[3] में राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्व या नियंत्रण वाले सार्वजनिक सेवा वाहनों पर अक्टूबर 2009 से अतिरिक्त कर के आरोपण का प्रावधान है।

सं.प.का. गाजियाबाद की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि जनपद गौतम बुद्ध नगर में संचालित उ.प्र.रा.स.प.नि. की बसों पर देय अतिरिक्त कर जमा नहीं किया जा रहा था। सं.प.का. द्वारा लेखापरीक्षा को जमा का कोई प्रमाण प्रस्तुत (अगस्त 2021) नहीं किया था। सं.प.का. द्वारा अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण, लेखापरीक्षा ने क्षेत्रीय प्रबंधक, उ.प्र.रा.स.प.नि. गौतम बुद्ध नगर (अगस्त 2021) और प्रबंध निदेशक, उ.प्र.रा.स.प. नि. (नवंबर 2021) से अतिरिक्त कर जमा करने का प्रमाण उपलब्ध करने का अनुरोध किया था, यद्यपि, उनके द्वारा भी इसको प्रस्तुत नहीं किया गया था। उपरोक्त से स्पष्ट है कि गौतम बुद्ध नगर जनपद में संचालित उ.प्र.रा.स.प.नि. की बसों पर अतिरिक्त कर जमा नहीं किया गया था। विभाग अथवा सं.प.का. द्वारा इस अतिरिक्त कर के आरोपण एवं वसूली के प्रयास नहीं किये गये थे।

गौतमबुद्धनगर में 31 मार्च 2021 तक, 364[4] बसें संचालित थीं। इन बसों द्वारा कर दिया जा रहा था। परन्तु इन बसों पर अतिरिक्त कर आरोपित नहीं किया जा रहा था एवं अतिरिक्त कर के भुगतान के बिना ये सड़क पर संचालित हो रही थीं। यह भी देखा गया कि इन बसों को वाहन एप्लीकेशन में प्रतिचित्रित किये गये अतिरिक्त कर लगाने के लिए फीचर के अन्तर्गत आच्छादित नहीं किया गया था। विभाग द्वारा इन बसों पर मैनुअल रूप से अतिरिक्त कर आरोपित करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। परिणामस्वरूप, विभाग इन बसों पर अक्टूबर 2009 से मार्च 2021 की अवधि तक ₹ 77.40 करोड़ की धनराशि का भुगतान न करने पर अतिरिक्त कर एवं शास्ति से वंचित रहा।

विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई 2022) में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया एवं बताया कि प्रकरण में बकाया धनराशि ₹ 77.40 करोड़ में से ₹ 24.47 करोड़ जमा कर दिए गए हैं।

4.2.3 vfrfjDr dj d foyfEcr Hkqxrku ij 'kkfLr ifrfpf=r dju e foQyrk

उ.प्र.मो.या.क. अधिनियम[5], 1997 के अन्तर्गत, राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्व या नियंत्रण में कोई भी, सार्वजनिक सेवा वाहन उत्तर प्रदेश में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर संचालित नहीं किया जाएगा जब तक कि देय कर के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अतिरिक्त कर का भुगतान न कर दिया गया हो। अग्रेतर, उ.प्र.मो.या.क. अधिनियम[6], 1997 के साथ पठित उ.प्र.मो.या.क. नियमावली[7], 1998 के अनुसार, जहाँ

---

3 जैसा कि अक्टूबर 2009 में प्रतिस्थापित किया गया।

4 स.सं.प.का., गौतम बुद्ध नगर ने दिनांक 08.08.2021 को 31.03.21 तक की सूचना प्रदान की।

5 उ.प्र.मो.या.क. अधिनियम, 1997 की धारा 6(1)।

6 उ.प्र.मो.या.क. अधिनियम, 1997 की धारा 9 (1) और (3)।

7 उ.प्र.मो.या.क. अधिनियम की धारा 6(1) के साथ पठित उ.प्र.मो.या.क. नियमावली, 1998 का नियम 24।

कर या अतिरिक्त कर का अदायगी निर्दिष्ट अवधि (प्रत्येक कैलेंडर माह की 15 तारीख) में भुगतान नही किया जाता है तो देय कर/अतिरिक्त के पाँच प्रतिशत प्रति माह की दर से अतिरिक्त कर या उसका भाग के लिए (देय धनराशि से अधिक नहीं) अर्थदण्ड देय होगा। प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) को निर्देशित (फरवरी 2006) किया था कि संग्रहित किया गया कुल देय अतिरिक्त कर को सीधे कोषागार में जमा करे और उ.प्र.रा.स.प.नि. के मुख्यालय को मूल चालान तथा एक प्रति संबंधित सं.प.का. में जमा करे। वर्ष के अंत में, उ.प्र.रा.स.प.नि. मिलान एवं समायोजन करेगा। इस व्यवसायिक नियमावली का प्रतिचित्रण करते समय, इस नियमावली के लिए अर्थदण्ड की धारा को भी वाहन एप्लीकेशन में प्रतिचित्रित किया जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा ने जनवरी 2018[8] से मार्च 2021 तक की अवधि के लिए 12 सं.प.का./स.सं. प.का. के अभिलेखों की नमूना–जांच की एवं देखा कि उ.प्र.रा.स.प.नि. द्वारा 20,441 प्रकरणों में से 19,530 प्रकरणों में, अतिरिक्त कर का भुगतान 1 से 29 माह के विलंब से किया गया था परन्तु विभाग, अर्थदण्ड का आरोपण एवं वसूली नहीं कर सका क्योंकि इसे वाहन 4.0 एप्लीकेशन में प्रतिचित्रित नहीं किया गया था। विभाग ने एप्लीकेशन में अतिरिक्त कर पर अर्थदण्ड के प्रावधान को प्रतिचित्रित करने हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी। परिणामस्वरूप, उ.प्र.रा.स.प.नि. से **₹** 6.00 करोड़ का अर्थदण्ड न तो आरोपित किया जा सका और न ही वसूल किया जा सका जैसा कि **ifjf'k"V&4-1** में वर्णित है।

पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2019–20 में उ.प्र.रा.स.प.नि. द्वारा अतिरिक्त कर के विलंबित भुगतान पर अर्थदण्ड आरोपित न करने के कारण राजस्व की हानि से संबंधित कमी को प्रकाश में लाया गया था, परन्तु विभाग द्वारा पूर्व लेखापरीक्षा टिप्पणियों के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई 2022) में बताया कि उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1997 एवं उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1998 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के अतिरिक्त कर पर अर्थदण्ड देय नहीं है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 24 में प्रावधान है कि जहाँ मोटर यान के संबंध में कर या अतिरिक्त कर का भुगतान धारा 9 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट अवधि में नहीं किया गया है तो देय कर/अतिरिक्त के पाँच प्रतिशत प्रति माह की दर से अतिरिक्त कर या उसका भाग के लिए अर्थदण्ड देय होगा। धारा 9(1) वाहनों द्वारा कर जमा करने की समय सीमा को निर्धारित करती है जबकि धारा 6 कर के साथ अतिरिक्त कर के भुगतान को प्रावधानित करती है। इस प्रकार, धारा 9(1) के साथ पठित धारा 6 अतिरिक्त कर जमा करने की समय सीमा को निर्धारित करती है। विभाग को अधिनियम की धारा 9(1) में संशोधन कर अतिरिक्त कर जमा करने की समय सीमा का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए तथा वाहन 4.0 एप्लीकेशन में तद्नुसार व्यवस्था करनी चाहिए।

---

[8] जनवरी 2018 से पहले की अवधि को पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में पहले ही प्रतिवेदित किया जा चुका है।

lLrfr 1%

foHkkx vfrfjDr dj ,o lcfèkr vFkn.M d vkjki.k gr m-i-jk-l-i-fu- dh lHkh clk dk ifrfp=.k lfuf'pr dju ij fopkj dj ldrk gA

4.2.4 byfDV'd okguk ij dj dh vufèk—r NV

उ.प्र.मो.या.क. अधिनियम, 1997 की धारा 4 के अनुसार, परिवहन वाहन के अतिरिक्त कोई भी मोटर वाहन उत्तर प्रदेश में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तब तक संचालित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे मोटर वाहन के संबंध में लागू दर पर एकमुश्त कर का भुगतान न कर दिया गया हो। हालांकि, अक्टूबर 2009 में किए गए संशोधन के अनुसार, बैटरी या सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले मोटर वाहनों को कर के भुगतान से छूट प्रदान की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना[9] (23 जून 2020) जारी की थी जो उत्तर प्रदेश में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर में छूट को प्रावधानित करती है। विभाग को उ.प्र.मो.या.क. अधिनियम, 1997 की धारा 4 के अन्तर्गत कर छूट हेतु उत्तर प्रदेश में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों का विवरण वाहन एप्लीकेशन में प्रतिचित्रित करना चाहिए था जिससे किसी भी डीलर द्वारा किसी प्रकार की हेराफेरी न की जा सके।

पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों के डेटा के विश्लेषण में ज्ञात हुआ कि राज्य में 24 जून 2020 से 31 मार्च 2021 के दौरान 924 इलेक्ट्रिक वाहनों को बिना कर भुगतान के पंजीकृत किया गया था। 924 वाहनों में से 238 इलेक्ट्रिक वाहन चयनित 12 सं.प.का. से नौ में संचालित हो रहे थे। पाँच चयनित सं.प.का./स.सं.प.का. में 54 बिना कर भुगतान पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों के सत्यापन के दौरान, यह देखा गया कि इन सभी वाहनों को संबंधित डीलर द्वारा डीलर प्वाइंट पंजीकरण योजना के माध्यम से पंजीकृत किया गया था। यद्यपि, सभी वाहन उत्तर प्रदेश के बाहर निर्मित किए गए थे, सिस्टम में न तो डीलर ने सही डाटा इनपुट दर्ज किया न ही सिस्टम ने चेसिस नंबर से, इन वाहनों के निर्माण के स्थान की सही पहचान की। विभाग ने वाहन एप्लीकेशन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बाहर निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर के आरोपण हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की। परिणामस्वरूप, ₹ 54.24 लाख के कर का आरोपण नहीं किया गया था **¼ifjf'k"V&4-2½**।

विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई 2022) में बताया कि इन प्रकरणों की जाँच कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

lLrfr 2%

foHkkx fu;ekuqlkj byfDV'd okguk ij djk d vkjki.k dk ifrfp=.k lfuf'pr dju ij fopkj dj ldrk gA

4.2.5 LoLFkrk çek.ki= e vfu;ferrk,

मो.या. अधिनियम[10], 1988 और के.मो.या. नियमावली[11], 1989 में प्रावधान है कि एक परिवहन वाहन को तब तक पंजीकृत नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके पास

---

[9] संख्या 2/2020/576/XXX–4–2020–8(19)2018 टी.पी. लखनऊ दिनांक 23 जून, 2020।
[10] मो.या. अधिनियम, 1988 की धारा 56, 84 और 86।

स्वस्थता का प्रमाण पत्र न हो। एक नए पंजीकृत परिवहन वाहन के संबंध में जारी किया गया स्वस्थता प्रमाण पत्र दो वर्ष के लिए वैध होता है और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष इसे नवीनीकृत कराना आवश्यक होता है।

राज्य में 31 मार्च 2021 तक कुल 21,19,300 वाहनों को परिवहन वाहनों के रूप में पंजीकृत किया गया था, जिनके लिए स्वस्थता प्रमाण पत्र आवश्यक था। इन वाहनों में से 2,49,896 वाहन नमूना जाँच में 12 सं.प.का./स.सं.प.का. में पंजीकृत थे। विभाग को स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित प्रावधानों का सही प्रतिचित्रण सुनिश्चित करना चाहिये। लेखापरीक्षा ने स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित अनियमितताएं पायी।

4.2.5.1 LoLFkrk d uohuhdj.k e foyEc ij 'kkfLr çkoèkku dk vo'k #i l gVkuk

के.मो.या. नियमावली[12] में मोटरसाइकिल, तिपहिया/हल्के वाहनों और मध्यम/भारी वाहनों के लिए स्वस्थता प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए क्रमशः ₹ 200, ₹ 400 और ₹ 600 का परीक्षण शुल्क निर्धारित हैं। अग्रेतर, उ0प्र0मो0या0 नियमावली, 1998 के नियम 39 (4) के अनुसार, चूक के मामले में, निर्धारित परीक्षण शुल्क के बराबर एक अतिरिक्त धनराशि भी आरोपणीय है। अग्रेतर, भारत सरकार (भा.स.) ने स्वस्थता प्रमाण पत्र के नवीनीकरण में देरी के लिए ₹ 50 प्रतिदिन आरोपित[13] (दिसंबर 2016) किया था। हालांकि, माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ के निर्णय (मार्च 2019) के परिप्रेक्ष्य में, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2016 में भारत सरकार द्वारा आरोपित किये गए अतिरिक्त शुल्क को वापस[14] (अप्रैल 2019) ले लिया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार के उक्त निर्णय के लिए वाहन एप्लीकेशन में संशोधन करते समय, विभाग ने स्वस्थता प्रमाण पत्र के नवीनीकरण में विलम्ब के मामले में निर्धारित परीक्षण स्वस्थता शुल्क के बराबर अतिरिक्त धनराशि को भी गलती से हटा दिया।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (स.प.रा.मं.) ने उन वाहनों के स्वस्थता प्रमाण पत्र की वैधता महामारी के कारण 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा[15] दी थी, जिनकी स्वस्थता 1 फरवरी 2020 तक समाप्त हो गयी थी।

लेखापरीक्षा ने मई[16] 2019 से जनवरी 2020 के दौरान विलम्ब से नवीनीकृत किए गए वाहनों के स्वस्थता प्रमाणपत्र का विश्लेषण किया और पाया कि राज्य में 1,90,482 वाहनों के स्वस्थता प्रमाणपत्र विलम्ब से नवीनीकृत किए गए थे। इनमें से चयनित 12 सं.प.का./स.सं.प.का. में 54,770 वाहनों के स्वस्थता प्रमाणपत्रों का नवीनीकरण 1 से

---

11 के.मो.या. नियम, 1989 का नियम 62।
12 के.मो.या. नियम, 1989 का नियम 81।
13 अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 1183(ई) दिनांक 29.12.2016।
14 क्रमांक 158 (श.) सं. प्रा./2019 दिनांक 29.04.2019।
15 स.प.रा.मं. अधिसूचना संख्या आरटी–11036/35/2020–एमवीएल दिनांक 30 सितंबर 2021।
16 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ₹ 50 प्रतिदिन की शास्ति वापस लेने के बाद का माह।

3,327 दिनों[17] की देरी से किया गया था। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि यद्यपि, उपरोक्त वाहनों के स्वस्थता प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण विलम्ब से किया गया था परन्तु स्वस्थता शुल्क के बराबर आरोपणीय अतिरिक्त धनराशि आरोपित नहीं की गई थी।

यद्यपि वाहन एप्लीकेशन में इसे अप्रैल 2019 से पूर्व में प्रतिचित्रित किया गया था, विभाग ने भारत सरकार द्वारा आरोपित किये गये केवल ₹ 50 प्रतिदिन को हटाने के स्थान पर दोनों शास्तियों के प्रावधानों को हटा दिया। वाहन एप्लीकेशन से शास्ति के फीचर को हटाने के समय, विभाग ने एनआईसी द्वारा किए गए उचित संशोधनों की अनुश्रवण नहीं की और परिणामस्वरूप, दोनों शास्तियाँ हटा दी गयी थी। इस प्रकार, ₹ 2.50 करोड़ के स्वस्थता शुल्क के समतुल्य अतिरिक्त धनराशि का आरोपण एवं वसूली नहीं की जा सकी **¼ifjf'k"V&4-3½**।

विभाग ने अपने उत्तर में (जुलाई 2022) में बताया कि यदि वाहन को निरीक्षण की निर्धारित तिथि के अन्दर स्वस्थता के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 के नियम 39 में स्वस्थता शुल्क के बराबर धनराशि का भुगतान करने का प्रावधान है। ऑन–लाइन स्वस्थता सिस्टम प्रारम्भ होने पर वाहन स्वामी को स्वस्थता निरीक्षण की तिथि चुनने की सुविधा दी गई है। यदि वाहन स्वामी चयनित तिथि पर वाहन को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत नहीं करता है, तो फिर से वाहन पोर्टल पर जाकर निरीक्षण तिथि का चयन कर सकता है, जिसके लिए निरीक्षण शुल्क फिर से जमा करना होगा। इसलिए, उक्त शास्ति के प्रावधान को हटाया नहीं गया है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि स्वस्थता पूर्ण होने के पश्चात वाहन स्वामी अपनी सुविधा के अनुसार निरीक्षण तिथि का चयन करता है और इस तिथि के पश्चात भी जो स्वस्थता या निरीक्षण तिथि की समाप्ति के पश्चात होती है, शास्ति आरोपित नहीं की जाती है। जबकि उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 के नियम 39 के उप–नियम 2 एवं 4 के अनुसार, यदि वाहन पूर्व निर्धारित एनआईडी तक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो स्वस्थता शुल्क के बराबर धनराशि आरोपित की जाएगी।

4.2.5.2 okguksa dk LoLFkrk izek.k i= dk uohuhdj.k u fd;k tkuk

मो.या. अधिनियम[18], 1988 और के.मो.या. नियमावली[19], 1989 में प्रावधान है कि एक परिवहन वाहन को तब तक पंजीकृत नहीं माना[20] जाएगा जब तक कि उसके पास स्वस्थता का प्रमाण पत्र न हो। एक नए पंजीकृत परिवहन वाहन के संबंध में जारी किया गया स्वस्थता प्रमाण पत्र दो वर्ष के लिए वैध होता है और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष इसे नवीनीकृत कराना आवश्यक है।

स्वस्थता प्रमाण पत्र के बिना वाहन का संचालन मो.या. अधिनियम[21], 1988 के प्रावधानों के अन्तर्गत ₹ 5,000[22] की दर से प्रशमन योग्य है।

---

[17] 30 दिनों तक का विलम्ब–17,332 वाहन, धनराशि ₹ 79.92 लाख; 31 से 180 दिनों के मध्य विलम्ब–7,318 वाहन, धनराशि ₹ 32.47 लाख; 181 से 365 दिनों के मध्य विलम्ब–8,689 वाहन, धनराशि ₹ 41.14 लाख; एवं एक वर्ष से अधिक विलम्ब–21,431 वाहन, धनराशि ₹ 96.43 लाख।

[18] मो.या. अधिनियम, 1988 की धारा 56, 84 और 86।

[19] के.मो.या. नियमावली, 1989 का नियम 62 और 81।

[20] मो.या. अधिनियम, 1988 की धरा 56।

[21] मो.या. अधिनियम, 1988 की धारा 192।

के.मो.या. नियमावली तिपहिया/हल्के वाहनों और मध्यम/भारी वाहनों के लिए क्रमशः ₹ 400 और ₹ 600 का परीक्षण शुल्क निर्धारित हैं। इसके अतिरिक्त, सभी श्रेणी के वाहनों के मामले में ₹ 200 का नवीनीकरण शुल्क भी आरोपणीय है। उ.प्र.मो.या. नियमावली[23], 1998 के प्रावधान के अनुसार, चूक के मामले में, निर्धारित परीक्षण शुल्क के बराबर एक अतिरिक्त धनराशि भी आरोपणीय है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (स.प.रा.मं.) ने उन वाहनों के स्वस्थता प्रमाण पत्र की वैधता महामारी के कारण 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा[24] दी थी, जिनकी स्वस्थता 1 फरवरी 2020 तक समाप्त हो गयी थी।

डाटा के विश्लेषण पर, लेखापरीक्षा ने देखा कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, राज्य में 5,77,036 वाहन बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के संचालित हो रहे थे, जिनमें से 12 चयनित सं.प.का./स.सं.प.का. में 1,51,454 वाहन संचालित थे। अग्रेतर, मार्च 2017[25] से जनवरी 2020 की अवधि के दौरान, राज्य में 2,60,868 वाहन बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के संचालित हो रहे थे, जिनमें से 12 चयनित सं.प.का./स.सं.प.का. में से 11 में 17,939 वाहन संचालित थे। इन 17,939 वाहनों के स्वस्थता प्रमाण पत्र की वैधता का नवीनीकरण 31 मार्च 2021 तक लंबित था। यद्यपि, ये वाहन सड़क पर संचालित[26] थे।

प्रत्येक चयनित सं.प.का./स.सं.प.का. में 20 वाहनों के सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि 220 वाहनों में से 37 वाहनों की स्वस्थता का नवीनीकरण (जनवरी 2022) किया गया था और 183 वाहनों की स्वस्थता अभी भी नवीनीकृत नहीं की गयी थी। इस प्रकार, यह अनुमानित है कि 17,939 वाहनों में से लगभग 83 प्रतिशत अर्थात 14,890 वाहनों के अभी भी बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के चलने की संभावना थी। परिणामस्वरूप, विभाग अनुमानित ₹ 9.02 करोड़ के स्वस्थता शुल्क एवं शास्ति से वंचित रहा **¼ifjf'k"V&4-4½**।

वाहन एप्लीकेशन इस सीमा तक त्रुटिपूर्ण है कि वह परिवहन वाहनों के संबंध में मोटर यान (मो.या.) कर का भुगतान स्वीकार कर रहा है, जिनकी स्वस्थता का नवीनीकरण लंबित है। इसके अतिरिक्त, मो.या. अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान के अनुसार, इन वाहनों को पंजीकृत नहीं माना जाएगा, परन्तु इन वाहनों का पंजीकरण वाहन एप्लीकेशन द्वारा निरस्त/निष्क्रिय नहीं किया गया था क्योंकि इन वाहनों को सक्रिय दर्शाया गया था।

विभाग ने अपने उत्तर में (जुलाई 2022) बताया कि बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के वाहन संचालित पाए जाने पर चालान की स्थिति में ही शास्ति लेने का प्रावधान है। अतः आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए स्वस्थता प्रमाण पत्र न रखने वाले वाहनों को भी वाहन एप्लीकेशन में सक्रिय

[22] अधिसूचना दिनांक 07 जून 2019 के द्वारा।

[23] उ.प्र.मो.या. नियमावली, 1998 का नियम 39।

[24] स.प.रा.मं. की अधिसूचना संख्या आरटी–11036/35/2020–एमवीएल दिनांक 30 सितंबर 2021।

[25] मार्च 2017 से पहले की अवधि को पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में पहले ही प्रतिवेदित किया जा चुका है।

[26] डंप डेटा से पता चलता है कि ये सक्रिय हैं और न तो समर्पण किया और न ही पंजीकरण रद्द किया गया था।

दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, तथ्य यह है कि वाहन एप्लीकेशन इस सीमा तक त्रुटिपूर्ण है कि यह उन वाहनों के मो.या. कर जमा करने की अनुमति दे रहा है जिनके स्वस्थता प्रमाण पत्र लंबित हैं।

LkLrfr 3%

foHkkx n; 'kkfLr lfgr LoLFkrk 'kYd d vkjki.k dk ifrfp=.k lfuf'pr dju ij fopkj dj ldrk gA

4.2.6 ifjogu okgu d fy, ijfeV tkjh dju e vfu;ferrk,

मो.या. अधिनियम, 1988 की धारा 66 के अनुसार, प्रत्येक परिवहन वाहन के स्वामी को अपने वाहन को संचालित करने के लिए संम्भागीय या राज्य परिवहन प्राधिकरण से परमिट प्राप्त करना आवश्यक है।

राज्य में 31 मार्च 2021 तक कुल 21,19,299 वाहनों को परिवहन वाहनों के रूप में पंजीकृत किया गया था, जिन्हें संचालित करने के लिए परमिट की आवश्यकता होती है, जिनमें से चयनित 12 सं.प.का./स.सं.प.का. में 2,49,896 वाहन पंजीकृत थे। इस संबंध में अनियमितताओं का वर्णन निम्नवत है।

4.2.6.1 jk"Vªh; ijfeV d çkfèkdkj dk uohuhdj.k ugh fd;k tkuk

मो.या. अधिनियम[27], 1988 के अन्तर्गत, एक परमिट, अस्थायी परमिट के अतिरिक्त पाँच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। के.मो.या. नियमावली[28] के अनुसार, राष्ट्रीय परमिट के लिए प्राधिकार एक वर्ष के लिए है। परिवहन आयुक्त के आदेश (फरवरी 2000) के अनुसार, संबंधित प्राधिकारी परमिट धारक को प्राधिकार की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर नोटिस जारी करेगा और उससे स्पष्टीकरण की मांग करेगा कि क्यो न प्राधिकार का नवीनीकरण न कराये जाने के मामले में परमिट को रद्द कर दिया जाय तथा निर्धारित समय के अन्दर कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर परमिट रद्द कर दिया जाये। राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार के लिए समेकित शुल्क ₹ 16,500[29] प्रति वर्ष के साथ आवेदन शुल्क[30] ₹ 1,000 शासकीय खाते में जमा किया जाना था।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (स.प.रा.मं.) ने उन वाहनों के परमिट की वैधता महामारी के कारण 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा[31] दी थी, जिनकी परमिट की वैधता 1 फरवरी 2020 तक समाप्त हो गई थी।

डाटा के विश्लेषण में लेखापरीक्षा ने देखा कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान राज्य में पंजीकृत 15,987 परिवहन वाहन बिना परमिट के प्राधिकार के संचालित हो रहे थे, जिनमें से 3,072 वाहन सात चयनित सं.प.का. में पंजीकृत थे। अप्रैल 2018[32] से जनवरी

---

[27] मो.या. अधिनियम, 1988 की धारा 81।

[28] के.मो.या. नियमावली, 1989 का नियम 87(3)।

[29] भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय आदेश संख्या आरटी.16031/6/2010.टी दिनांक 2 अप्रैल 2012।

[30] के.मो.या. नियमावली, 1989 के नियम 87 के अनुसार।

[31] स.प.रा.मं. अधिसूचना संख्या। आरटी–11036/35/2020–एमवीएल दिनांक 30 सितंबर 2021।

[32] अप्रैल 2018 से पहले की अवधि को पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में पहले ही प्रतिवेदित की जा चुका है।

2020 के दौरान राज्य में पंजीकृत 15,738 वाहन बिना परमिट के प्राधिकार के संचालित हो रहे थे जिनमें से सात चयनित सं.प.का. में 3,072 वाहन पंजीकृत थे। यह भी पाया गया कि 3,072 वाहनों के परमिट के प्राधिकार की वैधता का नवीनीकरण 31 मार्च 2021 तक सभी चयनित सं.प.का. में लंबित थे। यह सभी सूचना वाहन एप्लीकेशन में भी उपलब्ध थी जिसका राज्य और सं.प.का. स्तर पर विश्लेषण किया जाना आवश्यक था। अग्रेतर, विभाग की प्रवर्तन शाखा न तो इन वाहनों का पता लगा सकी और न ही विभाग इन परमिट धारकों को परमिट रद्द करने के लिए नोटिस जारी कर सका। सं.प.का./स.सं.प.का. के साथ विभाग ने उनके परमिटों के स्वतः निलंबन/निरस्तीकरण के लिए वाहन 4.0 में सुविधा जोड़ने के लिए कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की।

प्रत्येक सात चयनित सं.प.का. में 20 वाहनों के अभिलेखों के सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि 140 वाहनों में से, 100 वाहनों के प्राधिकार प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण किया गया था और 40 वाहनों के प्राधिकार प्रमाण पत्र अभी भी नवीनीकृत (जनवरी 2022) नहीं किए गए थे। इस प्रकार यह अनुमानित है कि 3,072 वाहनों में से 28.57 प्रतिशत अर्थात् 878 वाहनों का नवीनीकरण नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, अनुमानित ₹ 1.54 करोड़ की धनराशि के प्राधिकार के लिए समेकित शुल्क और आवेदन शुल्क वसूल नहीं किया गया था **¼ifjf'k"V&4-5½**।

विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई 2022) में बताया कि विभाग द्वारा इस मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

4.2.6.2 vf[ky Hkkjrh; i;ZVd ijfeV vkj jk"Vh; ijfeV d vrxr vku oky okgu ij dkVZ Qhl dk de vkjki.k

उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस अधिनियम, 1870 के प्रावधान के अनुसार, परमिट जारी करने, परमिट के नवीनीकरण और परमिट के प्राधिकार पर कोर्ट फीस का आरोपण किया जायेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के लिए ''यूपी कोर्ट फीस अधिनियम, 1870'' की अनुसूची 2 में संशोधन[33] (अप्रैल 1989) किया है। राज्य परिवहन प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत सेवाओं के लिए कोर्ट फीस को ₹ 10 के स्थान पर ₹ 200 में परिवर्तित किया गया था। राष्ट्रीय परमिट और अखिल भारतीय परमिट से संबंधित परमिट का कार्य राज्य परिवहन प्राधिकरण से संम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों को सौंप दिया गया है। इसलिए, इस व्यवस्था के अनुसार, उनसे परमिट संबंधित कार्यों के आवेदन पर, ₹ 200 कोर्ट फीस संग्रहित किया जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अप्रैल 2016 से मार्च 2021 के दौरान, राज्य में 4,49,917 वाहनों के परमिट जारी एवं रद्द करने, परमिट का नवीनीकरण और परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण हुआ। इनमें से 1,61,005 मामले छः सं.प.का. एवं प.आ. कार्यालय के थे और कोर्ट फीस की धनराशि ₹ 200 के स्थान पर ₹ 100 की दर से आरोपित की गयी थी। सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि सं.प.का. गाजियाबाद में कोर्ट फीस ₹ 200 को मैनुअल रूप से आरोपित एवं संग्रहित किया जा रहा था।

इस संबंध में वित्त नियंत्रक, परिवहन विभाग द्वारा इंगित किए जाने पर (24 जुलाई 2019) अपर परिवहन आयुक्त, आईटी ने वाहन एप्लीकेशन में विसंगति के संशोधन के

[33] अधिसूचना संख्या –698/सत्रह–वी–1–1(ए)/(18)/1989, दिनांक 10.04.1989 के द्वारा।

लिए एनआईसी को पत्र लिखा था। यद्यपि, मार्च 2021 तक वाहन एप्लीकेशन में इसका प्रतिचित्रण नहीं किया गया है। वाहन एप्लीकेशन में त्रुटिपूर्ण प्रतिचित्रण तथा अन्य चयनित सं.प.का./प.आ. कार्यालय में इसे मैनुअल रूप से संग्रहित न करने के परिणामस्वरूप, ₹ 1.61 करोड़ की कोर्ट फीस आरोपित नहीं की जा सकी **¼ifjf'k"V&4-6½**।

विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई 2022) में बताया कि इस मामले की विभाग द्वारा जाँच कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

4.2.7 yfcr pkyku d lkFk ijfeV@LokLFkrk dk uohuhdj.k

ई–चालान डाटाबेस को वाहन डाटाबेस के साथ एकीकृत किया गया था, परन्तु लंबित चालानों के बावजूद, कई मामलों में वाहन स्वामी अपने परमिट/स्वस्थता के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने में सक्षम थे एवं उन्हें जारी भी किया जा रहा था। यदि विभाग, परमिट/स्वस्थता के नवीनीकरण के समय चालान की धनराशि जमा करा लेता, तो यह अधिक समय से लंबित चालानों को कम कर सकता था।

डाटा विश्लेषण के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य में 16,234 वाहनों (जून 2017 से मार्च 2021 तक) के लंबित चालानों के साथ स्वस्थता और परमिट का नवीनीकरण किया गया था, जिनमें से 12 में से 12 चयनित सं.प.का./स.सं.प.का. से संबंधित 3,511 मामले थे। लेखापरीक्षा ने दो चयनित सं.प.का./स.सं.प.का. में 67 मामलों का सत्यापन किया और पाया कि वाहन के परमिट/स्वस्थता का नवीनीकरण किया गया था, यद्यपि वाहन के विरुद्ध चालान लंबित था और मालिक/चालक द्वारा निस्तारित नहीं कराया गया था। चालान धनराशि की वसूली एवं वाहन एप्लीकेशन को अद्यतन करने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। परिणामस्वरूप, ₹ 13.21 करोड़ की धनराशि के लंबित चालानों के प्रशमन शुल्क की वसूली के बिना वाहन के परमिट/स्वस्थता का नवीनीकरण किया गया था **¼ifjf'k"V& 4-7½**।

विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई 2022) में बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 584(ई) दिनांक 25.09.2019 द्वारा में की गई व्यवस्था के अनुसार ई–चालान के मामले में परमिट/स्वस्थता के नवीनीकरण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

तथ्य यह है कि लंबित चालानों की वसूली नहीं की जा सकी। चालान धनराशि एक महत्वपूर्ण राजस्व है एवं इसे स्वस्थता/परमिट के नवीनीकरण के समय वसूल किया जाना चाहिए।

b&pkyku ,i e vfu;ferrk;

परिवहन प्रवर्तन शाखा एवं यातायात पुलिस द्वारा उपयोग के लिए ई–चालान ऐप यातायात उल्लंघनों को प्रबंधित करने के लिए एक एंड्रॉइड आधारित मोबाइल ऐप और बैक–इंड वेब एप्लीकेशन के द्वारा एक एकीकृत प्रवर्तन समाधान है। इस ऐप का उपयोग चालान जारी करने और प्रशमन शुल्क के निस्तारण के लिए किया जाता है।

4.2.8 ekuuh; U;k;ky; dk foyEc l Hkt x; pkyku

मो.या. अधिनियम[34],1988 उस कार्यरत अधिकारी को वाहनों को/वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र को जब्त करने के लिए अधिकृत करता है, यदि उस अधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि वाहन, मो.या. अधिनियम,1988 के प्रावधानों[35] के उल्लंघन कर संचालित हो रहा है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में परिवहन आयुक्त ने आदेश[36] (दिसंबर 2010) दिया कि मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 207 के अन्तर्गत जब्त वाहनों के खिलाफ जारी चालान के दिनांक से सात दिनों के अन्दर अग्रेतर कानूनी कार्यवाही के लिए माननीय न्यायालय को अग्रेषित किया जाये।

12 चयनित इकाइयों के डेटा विश्लेषण के दौरान यह देखा गया कि ई–चालान ऐप के माध्यम से जारी किए गए 18,387 चालान, जब्त/चालान की तारीख से सात दिनों के पश्चात् (जून 2017[37] और मार्च 2021 के मध्य) माननीय न्यायालय को भेजे गए थे। ये जब्ती/चालान मो.या. अधिनियम, 1988 की धारा 207 के अन्तर्गत प्रवर्तन दल के विभिन्न अधिकारियों द्वारा मो.या. अधिनियम, 1988 की धारा 3, धारा 4, धारा 39 और धारा 66 के उल्लंघन के लिए जारी किए गए थे। लेखापरीक्षा ने तीन स.सं.प.का के अभिलेखों का सत्यापन किया और पाया कि 100 प्रतिशत चालान विलम्ब से न्यायालय को भेजे गए थे। इन वाहनों पर प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा प्रशमन शुल्क आरोपित गया था। यद्यपि, विभाग ने इन चालानों को 8 से 1,184 दिनों[38] तक के विलम्ब से अग्रेतर कानूनी कार्यवाही के लिए न्यायालय को भेजा था। विभाग द्वारा निर्धारित समय में न्यायालय को चालान डिजिटल रूप में प्रेषित करने तथा इन चालानों को न्यायालय में स्वतः प्रेषण हेतु एप्लीकेशन को अद्यतन करने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी **¼ifjf'k"V&4-8½**।

विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई 2022) में बताया कि विभाग द्वारा इस मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

lLrfr 4½

foHkkx ;g lfuf'pr dju ij fopkj dj ldrk g fd pkyku vnkyr e le; ij] fMftVy :i l LFkkukrfjr dj fn;k tk; ;fn lHko gk rkA

---

34 मो.या. अधिनियम, 1988 की धारा 207।

35 धारा 3 (एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना), धारा 4 (वाहन चलाने वाला अवयस्क व्यक्ति), धारा 39 (अपंजीकृत वाहन चलाना) और/या धारा 66 (I) (परमिट की आवश्यकता)।

36 आदेश संख्याः 418 (जी) आईएनएफ/2010–24 (रिट) आईएनएफ/2008 दिनांक 30 दिसंबर 2010।

37 ई–चालान ऐप के संचालन की तिथि।

38 30 दिनों तक का विलम्ब, 913 वाहन; 31 से 180 दिनों के मध्य विलम्ब, 10,727 वाहन; 181 से 365 दिनों के मध्य विलम्ब, 3,676 वाहन और एक वर्ष से अधिक विलंब वाले 3,071 वाहन।

4.2.9 i'keu 'kYd dh de olyh

उत्तर प्रदेश सरकार ने (जुलाई 2020) मोटर यान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत विभिन्न अपराधों के लिए प्रशमन शुल्क अधिसूचित[39] किया है। अधिसूचना के अनुसार, प्रशमन शुल्क बार–बार होने वाले अपराधों के संबंध में अधिक था।

डाटा विश्लेषण के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य में 240 चालान वाले वाहनों (जुलाई 2019 से मार्च 2021 तक) से प्रशमन शुल्क की कम वसूली हुई थी, जिसमें 12 में से 9 चयनित सं.पका/स.सं.प.का. से सम्बन्धित 55 वाहन थे। लेखापरीक्षा ने पाँच चयनित सं.प.का./स.सं.प.का. से संबंधित नौ मामलों का सत्यापन किया और देखा कि ऑन–लाइन भुगतान के मामलों में, वसूल किए गए प्रशमन शुल्क की धनराशि आरोपित किये गए प्रशमन शुल्क की धनराशि से कम थी।

विभाग ने ऑन–लाइन भुगतान के माध्यम से प्रशमन शुल्क की कम वसूली को रोकने एवं एप्लीकेशन को अद्यतन करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की थी। परिणामस्वरूप, ₹ 2.76 लाख की धनराशि के प्रशमन शुल्क की कम वसूली हुई थी **¼ifjf'k"V&4-9½**।

विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई 2022) में बताया कि विभाग द्वारा इस मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

lLrfr 5%

foHkkx ;g lfuf'pr djus ij fopkj dj ldrk g fd vijkèkk d fy, vkjkfir okLrfod i'keu 'kYd okgu Lokeh l oly fd;k tk;A

vU; vfu;ferrk,

4.2.10 fcuk ijfeV d pyu oky okguk ij ijfeV 'kYd] vkonu 'kYd ,o 'kkfLr dk vkjkfir u fd;k tkuk

मो.या. अधिनियम[40], 1988 के अन्तर्गत, एक परमिट अस्थायी परमिट के अतिरिक्त पाँच वर्षो की अवधि के लिए प्रभावी होगा एवं मोटर वाहन स्वामी वाहन का प्रयोग परिवहन वाहन के रुप में अथवा वाहन के प्रयोग की अनुमति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना परमिट के नही करेगा। उ.प्र.मो.या.क. नियमावली[41] में नये परमिट के जारी करने, इसके नवीनीकरण एवं आवेदन शुल्क के लिए दरें निर्धारित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दरों का पुनरीक्षण[42] (फरवरी 2019) किया गया। अग्रेतर, बिना परमिट के वाहन का संचालन होने पर मो.या. अधिनियम[43] के अन्तर्गत ₹ 10,000 की दर[44] से प्रशमन योग्य है।

---

[39] संख्या 10/2020/752/XXX–4–2020–1(सा)/2017।
[40] मो.या. अधिनियम की धारा 81 और 66।
[41] उ.प्र.मो.या.क. नियमावली का नियम 125।
[42] अधिसूचना संख्या 4/2019/215/30–4–2019–4(02)/2010 दिनांक 26 फरवरी 2019।
[43] मो.या. अधिनियम की धारा 192ए।
[44] आदेश दिनांक 30.07.2020 के द्वारा।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (स.प.रा.मं.) ने उन वाहनों के परमिट की वैधता महामारी के कारण 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा[45] दी थी, जिनकी परमिट की वैधता 1 फरवरी 2020 तक समाप्त हो गई थी।

डाटा के विश्लेषण पर, लेखापरीक्षा ने देखा कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, राज्य में 80,021 परिवहन वाहन बिना परमिट के संचालित हो रहे थे, जिनमें से 43,406 वाहन सात चयनित सं.प.का एवं प.आ. कार्यालय में संचालित थे। अप्रैल 2016 से जनवरी 2020 के दौरान, राज्य में 53,607 वाहन बिना परमिट के संचालित हो रहे थे, जिनमें से 1,340 वाहन एक चयनित इकाई (सं.प.का, गोंडा) और प.आ. कार्यालय में संचालित थे। यह भी पाया गया कि इन 1,340 वाहनों के परमिट की वैधता का नवीनीकरण 31 मार्च 2021 तक लंबित था। साथ ही, इन वाहन स्वामियों द्वारा वाहनों का प्रयोग न करने के लिए कर वापसी के लिए आवेदन एवं पजीकरण प्रमाण पत्र समर्पण नहीं किया गया। परमिट की वैधता की समाप्ति जैसी जानकारी वाहन डाटाबेस में उपलब्ध थी। इसके बावजूद विभाग द्वारा इन मामलों का पता नहीं लगाया जा सका। सं.प.का., गोंडा के साथ–साथ प.आ. कार्यालय ने भी इन परमिट धारकों को नोटिस जारी करने के लिए कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की।

प्रत्येक चयनित सं.प.का में 20 वाहनों के सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि इन वाहनों के परमिट जनवरी 2022 तक नवीनीकृत नहीं किए गए थे। इस प्रकार, 1,340 वाहनों का परमिट नवीनीकरण नहीं किया गया था एवं बिना परमिट के सड़क पर संचालित हो रहे थे। परिणामस्वरूप, परमिट शुल्क, आवेदन शुल्क एवं शास्ति की धनराशि ₹ 1.84 करोड़ की वसूली नहीं हुई थी ¼**ifjf'k"V& 4-10**½।

विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई 2022) में बताया कि विभाग द्वारा इस मामले की जाँच कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

lLrfr 6%

foHkkx n; 'kkfLr lfgr ijfeV 'kYd dh olyh lfuf'pr dju ij fopkj dj ldrk gA

4.2.11 tCr@jkd x, okguk d voeDr e foyEc

उ.प्र.मो.या.क. अधिनियम, 1997 की धारा 22 राज्य सरकार के अधिकारी को एक मोटर वाहन को जब्त करने या रोके रहने के लिए अधिकृत करती है, यदि उसके पास यह मानने का पर्याप्त कारण है कि वाहन का उपयोग कर, अतिरिक्त कर अथवा शास्ति के भुगतान के बिना किया जा रहा है। वाहन को जब्त करने वाला अधिकारी ऐसी जब्ती की रिपोर्ट कराधान अधिकारी को भेजेगा। उपर्युक्त तरीके से जब्त या रोके गए वाहनों को कर, अतिरिक्त कर, शास्ति अथवा देय किसी अन्य राशि के भुगतान पर अधिकारी द्वारा तत्काल अवमुक्त किया जायेगा।

डाटा विश्लेषण के दौरान यह देखा गया कि राज्य में 5,511 वाहनों को कर/शुल्क/प्रशमन शुल्क (जून 2017 से मार्च 2021 तक) के भुगतान के बाद भी 4 दिनों से लेकर 1,355 दिनों तक के विलम्ब से अवमुक्त किया गया था। इनमें से,

[45] स.प.रा.मं. अधिसूचना संख्या आरटी–11036/35/2020–एमवीएल दिनांक 30 सितंबर 2021।

268 वाहनों को 11 चयनित सं.प.का./स.सं.प.का. में 6 दिनों से 1,248 दिनों[46] तक के विलम्ब से अवमुक्त किया गया था। लेखापरीक्षा ने तीन चयनित स.सं.प.का के अभिलेखों का सत्यापन किया और पाया कि 33 वाहनों को बकाया भुगतान की तारीख से 6 दिनों से 1,248 दिनों तक के विलम्ब से अवमुक्त किया गया था। इस प्रकार, अधिकारियों द्वारा 100 प्रतिशत वाहनों को विलम्ब से अवमुक्त किया गया था जबकि रोके गए वाहनों को देय धनराशि के भुगतान पर अधिकारियों द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाना चाहिए था **¼ifjf'k"V& 4-11½**।

विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई 2022) में बताया कि विभाग द्वारा इस मामले की जाँच कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

fu"d"k

वाहन 4.0 एप्लीकेशन में विभाग के उचित एवं सही व्यवसायिक नियमों के प्रतिचित्रण में विभिन्न विसंगतियाँ थीं जिससे अतिरिक्त कर, शुल्क एवं प्रशमन शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उत्तर प्रदेश में निर्मित नहीं होने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को कर में अनधिकृत छूट की अनुमति दी गई थी। इसके कारण अनुश्रवण और राजस्व की वसूली के सम्बन्ध में कमियाँ रहीं। चालानों के लिए प्रशमन शुल्क की वसूली के संबंध में ई चालान ऐप भी त्रुटिपूर्ण पायी गयी और डिजिटल रूप में चालान निर्धारित समय के अन्दर स्वचालित रूप से न्यायालय को प्रेषित नहीं किये।

[46] 30 दिनों तक का विलम्ब–41 वाहन; 31 से 180 दिनों के मध्य का विलम्ब–112 वाहन; 181 से 365 दिनों के मध्य का विलम्ब– 41 वाहन एवं एक वर्ष से अधिक का विलम्ब–74 वाहन।